राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302005
(**दूरभाष नं0:**–0141–2740837,, **फैक्स** 0141–2742309, **ई–मेल**:–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:– एफ.4 (ई)(1)(6)/अलेसे–III/ 293 **दिनांक:**– 28.06.2

कार्यालय आदेश

कोषाधिकारी; उदयपुर (शहर) के पत्रांक 363 दिनांक 14.03.2024 द्वारा स्व0 श्री माणक चन्द मेनारिया सेवानिवृत्त लेखाकार तत्कालीन पदस्थापित कार्यालय कोषालय, उदयपुर को स्वीकृत प्रोविजनल पेंशन को अन्तिम रूप से पेंशन स्वीकृति हेतु प्रकरण निस्तारण हेतु प्राप्त हुआ है। उक्त पत्रानुसार स्व0 श्री मेनारिया के तत्समय पदस्थापन कार्यालय राज्य सैनिक, बोर्ड, राजस्थान, जयपुर में दिनांक 04.05.1976 से 21.05.1978 तथा 01.07.1978 से 15.01.1980 कुल समयावधि 03 वर्ष, 07 माह, 03 दिवस को सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान के द्वारा स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप अनुपस्थिति में शुमार किया गया है, किन्तु उपरोक्त अवधि को पेंशन योग्य मानने/नहीं मानने के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं होने के कारण स्व0 श्री मेनारिया को अन्तिम रूप से पेंशन स्वीकृत नहीं की जा सकी है। प्रकरण पर गहनता से विचार–विमर्श पश्चात् राजस्थान सिविल सेवाएँ (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 26 (2) के अन्तर्गत नियुक्ति अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए स्व0 श्री मेनारिया की अनुपस्थिति अवधि दिनांक 04.05.1976 से 21.05.1978 एवं 01.07.1978 से 15.01.1980 कुल समयावधि 03 वर्ष, 07 माह, 03 दिवस को असाधारण अवकाश में परिवर्तित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। उपर्युक्त असाधारण अवकाश अवधि राजस्थान सिविल सेवाएँ (पेंशन) नियम 1996 के नियम 20 (2) के अनुसार **"पेंशन योग्य गणना"** हेतु मान्य नहीं हैं। शेष सेवावधि ही नियमित पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन निर्धारण हेतु मान्य है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:– एफ.4 (ई)(1)(6)/अलेसे–III/ 293 दिनांक:– 28.06.24

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. श्री फूल सिंह मीणा, माननीय विधानसभा सदस्य (एम.एल.ए.), उदयपुर ग्रामीण राजस्थान, मानसरोवर बी–2, बाईपास, द्वारकाट्वीन्स, बी ब्लॉक, फ्लेट नं. 204, जयपुर राजस्थान।
2. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर।
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय उदयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक कोष एवं लेखा राज0 जयपुर।
5. श्रीमती डाई बाई पत्नी स्व0 श्री माणक चन्द मेनारिया, सेवानिवृत्त लेखाकार।
6. उपनिदेशक (एसीपी), बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

Signature valid
Digitally signed by Bhupesh Kumar Mathur
Designation : Director
Date: 2024.06.26 17:56:20 IST
Reason: Approved

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव